**प्रथम सूचना रिपोर्ट**
( अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता )

1. जिला..... **भ्र0 नि0 ब्यूरो, चौकी धौलपुर** .....थाना.....**प्र0आ0 केन्द्र,भ्र0नि0ब्यूरो जयपुर**... वर्ष ...**2023**........
प्र. इ. रि. स. ........250/23............ दिनांक ..........17/9/2023
2. (अ) अधिनियम ....**भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018)** ...धारायें...**7**.....................
(ब) अधिनियम ........... ..........................................धारायें.............................................................
(स) अधिनियम ...............................................................धारायें.........................................................
(द) अन्य अधिनियम एवं धारायें .............................................................................................
3. (अ) रोजनामचा आम रपट सख्या ......340...... समय..........4:00 pm
(ब) अपराध घटने का दिन–दि.–..................**शनिवार / 16.09.2023 / 02:00 पी.एम.**..............
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक .......**15.09.2023**........... समय. ...........**04:00 PM**..............
4. सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक – .................. **लिखित** .................................................
5. घटनास्थल :–............. **पुलिस थाना, लखनपुर जिला भरतपुर** ..................................
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – .....**बजानिव दिशा पश्चिम, दूरी करीब 115 कि.मी**.....................
(ब) पता – .......................................बीट सख्या ................जरायम देही सं...........................................
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो ...पुलिस थाना................जिला..........................
6. परिवादी / सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम ........................**श्री देवेन्द्र सिंह** .........................................................................................
(ब) पिता / पति का नाम ..... **श्री मान सिह** ...जाति ....जाट ...(स) जन्म तिथि / वर्ष.....47 **वर्ष** ...
(द) राष्ट्रीयता.........**भारतीय** ................................................................................................
(य) पासपोर्ट सख्या ................जारी होने की तिथी...............जारी होने की जगह.........................
(र) व्यवसाय.........................................................................................................................
(ल) पता.................**निवासी मई पुलिस थाना लखनपुर जिला भरतपुर** ........................
7. ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–

**1.** रामअवतार पुत्र श्री भजन लाल, जाति बैरवा उम्र 39 साल निवासी गोठड़ा पुलिस थाना नादौती जिला गंगापुर हाल उप निरीक्षक, थानाधिकारी, पुलिस थाना लखनपुर जिला भरतपुर ..............................................................................................

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :–.........**कोई नही**...............................
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित होतो अतिरिक्त पन्ना लगायें) ....................
....................................20,**000 / –रूपये रिश्वत राशि** ..................................................................
10. चुराई हुई / लिप्त सम्पति का कुल मूल्य . पंचनामा / यू.डी. केस सख्या ( अगर हो तो )...........
....................................20,**000 / –रूपये रिश्वत राशि** ..................................................................
11. मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट (अप्राकृतिक मृत्यु मामला सं0) (यदि कोई हो तो) ............**नहीं**.........................
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट ( अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये )......................
सेवा

मे, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो धौलपुर विषय--रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकड़वाने बाबत् महोदय निवेदन है कि मैं देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री मान सिंह जाति जाट उम्र 47 बर्ष निवासी मई तहसील नदवई जिला भरतपुर (राज0) का रहने वाला हूं मैंने 4–5 दिन पहले थाना लखनपुर जिला भरतपुर पर मेरे साथ हुई धोखाधडी के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट एसएचओ श्री रामअवतार बैरवा को दी भी उक्त रिपोर्ट पर मदद करने एवं रूपये बापिस दिलाने के एवज में एसएचओ साहब मुझसे 25000 रूपये रिश्वत मांग रहा है आज मेरे रूपये बापिस मिल गये हैं, अब श्री रामअवतार एसएचओ लखनपुर मुझे 25000 रूपये रिश्वत के लिए बुला रहा है मै उसको रिश्वत नहीं देना चाहता हूँ और उसे रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथ पकडवाना चाहता हॅं। श्री रामअवतार एसएचओ लखनपुर से कोई पुराना लेन देन बाकी नही है, मेरी उससे कोई रंजिश नहीं है। मै यह कार्यवाही धौलपुर एसीबी से कराना चाहता हॅं। एस.डी. देवेन्द्र सिंह 15.09.23 एस. डी. सुरेन्द्र सिंह, एस.डी. योगेन्द्र सिंह एस.डी कपिल कुमार

## कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 15.09.2023 को वक्त 04.00 पी.एम. पर परिवादी श्री देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री मान सिह, जाति जाट, उम्र 47 वर्ष, निवासी मई तहसील नदबई जिला भरतपुर ने पूर्व से हुई वार्ता अनुसार सर्किट हाउस भरतपुर में उपस्थित होकर एक हस्त लिखित रिपोर्ट मय स्वयं के आधार कार्ड की स्वप्रमाणित फोटोप्रति सहित श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, ए.सी.बी धौलपुर के नाम संबोधित की हुई मन् उप अधीक्षक पुलिस को पेश की परिवादी की लिखित रिपोर्ट का अवलोकन कर रिपोर्ट में अंकित तथ्यों बाबत परिवादी से पूछताछ की गई तो परिवादी श्री देवेन्द्र सिह ने रिपोर्ट स्वयं के द्वारा लिखी हुई होना बताया व अंकित तथ्य सही होना तथा रिपोर्ट पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया परिवादी ने मजीद दरियाफ्त पर लिखित प्रार्थना पत्र की ताईद करते हुए बताया कि मैने 4–5 दिन पहले थाना लखनपुर जिला भरतपुर पर मेरे साथ हुई धौका धड़ी के संबंध में एक रिपोर्ट एसएचओ श्री राम अवतार वैरवा को दी थी उस रिपोर्ट पर मदद करने एवम रूपये वापस दिलाने की एवज में एसएचओ साहब मुझसे 25000 रूपये रिश्वत मांग रहा है। आज मेरे रूपये मुझे वापस मिल गये हैं अब श्री रामअवतार एसएचओ लखनपुर मुझे 25000 रूपये रिश्वत के लिये बुला रहा है। मैं उसको रिश्वत नही देना चाहता हूँ और उसे रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथ पडकवाना चाहता हूँ श्री राम अवतार एसएचओ लखनपुर से मेरा कोई पुराना लेन–देन बाकी नही है मेरी उससे कोई रंजश नही है। मैं यह कार्यवाही धौलपुर एसीबी से कराना चाहता हूँ। परिवादी की लिखित रिपोर्ट एवं की गई दरियाफ्त आदि से मामला प्रथम दृष्टया रिश्वत की मांग का पाया जाने पर विभागीय प्रकिया अनुसार रिश्वत राशि मांग का गोपनीय सत्यापन हेतु दिनांकः–15.09. 2023/04.15 पी.एम मौतबिरान के समक्ष परिवादी श्री देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री मान सिह, जाति जाट, उम्र 47 वर्ष, निवासी मई तहसील नदबई जिला भरतपुर को रिश्वत राशि की मांग के सम्बन्ध में आरोपी से वार्ता कर वार्ता को डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर में रिकार्ड करने के लिये डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को मन् उप अधीक्षक पुलिस ने गवाहान के समक्ष परिवादी को डिजिटल वाइस रिकॉर्डर मे माइक्रो एस डी कम्पनी का 08 जी.बी. नया मेमोरी कार्ड डालकर चालू एवं बन्द करने की विधि समझायी गई उक्त डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को श्री ब्रह्मदेव सिंह कानि. 449 को सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि वह परिवादी को आरोपी के पास जाने से पूर्व अपना परिचय देकर सुपुर्द करे तथा परिवादी के वापस आने पर डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित लेकर आवे इससे छेडछाड नही करें। फर्द सुपुर्दगी विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर पृथक से मुर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु परिवादी श्री देवेन्द सिंह एवं कानि0 ब्रह्मदेव सिंह सिंह कानि. को प्राईवेट वाहन से आरोपी श्री राम अवतार थानाधिकारी, पुलिस थाना लखनपुर जिला भरतपुर से रिश्वत मांग की गोपनीय सत्यापन वार्ता के लिए बाद हिदायत रवाना किया गया। वापसी पर परिवादी श्री देवेन्द्र सिह के बाद रिश्वत मांग सत्यापन के सुपुर्दशुदा डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को श्री ब्रह्मदेव सिह कानि0 449 से प्राप्त किया गया। परिवादी ने बताया कि आरोपी श्री राम अवतार बैरवा, थानाधिकारी, पुलिस थाना लखनपुर से मेरी वार्ता हो गई है थानाधिकारी ने मेरे साथ हुई धौका धड़ी के संबंध में मदद करने एवम रूपये वापस दिलाने की एवज में रिश्वत के रूप में 25,000/– रूपये मांगने पर मेरे द्वारा निवेदन करने पर 20,000/– रूपये लेने में सहमत हुये। मैंने राम अवतार, थानाधिकारी से हुई वार्तालाप को इस वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया है। राम अवतार ने कल दिनांक 16.09.2023 को रिश्वती राशि लेने के लिए सहमत हो गया है प्राप्तशुदा डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता को सुना गया तो वॉइस रिकॉर्डर में रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गई। परिवादी द्वारा बतायी गई उपरोक्त वार्ता सही रिकॉर्ड होना पायी गई। रिकॉर्ड वार्तालाप का रूपान्तरण पृथक से तैयार की जावेगी। फर्द वापसी सुपुर्दशुदा विभागीय डिजीटल वॉइस रिकार्डर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। ट्रेप कार्यवाही हेतु स्वतंत्र गवाह तलबी बाबत तहसीलद्वार, तहसील धौलपुर के नाम तहरीर जरिये वॉट्सअप जारी एवं दूरभाष वार्ता कर दो स्वतंत्र गवाह कल दिनांक 16.

09.2023 को समय 08.00 ए.एम पर सर्किट हाउस भरतपुर को भिजवाने हेतु पाबन्द किया गया। **दिनांक 16.09.2023/08.00 ए.एम** पर पाबन्द शुदा परिवादी श्री देवेन्द्र सिह उपस्थित सर्किट हाउस आया व पूछने पर बताया कि आरोपी थानाधिकारी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 20,000/–रूपये की व्यवस्था कर साथ लाया हूँ। श्री योगेश कानि.88 मय कार्यालय उप पजीयक जिला धोलपुर से दो स्वतंत्र गवाह व ट्रेप बॉक्स आदि उपकरणो साथ लेकर उपस्थित सर्किट हाउस भरतपुर आया। कानि. के साथ आये दोनो स्वतंत्र गवाहान ने नाम पता पूछने पर अपने–अपने नाम क्रमशः श्री योगेन्द्र सिह पुत्र श्री गिरधारी सिह, जाति जाट, उम्र 43 साल, निवासी मकान नं. 2 ता 6 हाउसिंग बोर्ड कृष्णा नगर भरतपुर, पुलिस थाना मथुरा गेट भरतपुर जिला भरतपुर हाल सूचना सहायक कार्यालय उप पंजीयक धौलपुर व श्री कपिल कुमार पुत्र श्री राजेश कुमार, जाति धोबी उम्र 32 साल निवासी वार्ड नं. 43 भामतीपुरा धौलपुर पुलिस थाना कोतवाली जिला धौलपुर हाल वरिष्ठ सहायक, उप पंजीयक धौलपुर बताये जिनसे गोपनीय ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने बाबत सहमति चाही तो उक्त दोनो स्वतन्त्र गवाहान ने अपनी सहमति दी, तत्पश्चात दोनो गवाहो को ट्रेप कार्यवाही से अवगत कराते हुये परिवादी से परिचय कराया गया एवं परिवादी द्वारा पेश की गई लिखित रिपोर्ट को पढ़ाया जाकर उस पर हस्ताक्षर करवाये गये। **समय–09:00 ए.एम** परिवादी श्री देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री मान सिंह जाति जाट उम्र 47 वर्ष निवासी मई तहसील नदवई जिला भरतपुर पुलिस थाना लखनपुर ने आरोपीगण को दी जाने वाली रिश्वती राशि 500–500 रूपये के 40 (चालीस) भारतीय चलन मुद्रा के नोट कुल 20,000/–(बीस हजार) रूपये अपने पास से निकालकर मन उप अधीक्षक पुलिस को पेश किये जिनका विवरण निम्न प्रकार हैः–

| कमसंख्या | नोटो का विवरण | नोटो के नम्बर |
|---|---|---|
| 1 | एकनोट 500 रूपये का | 9HF139535 |
| 2 | एकनोट 500 रूपये का | 3BP968095 |
| 3 | एकनोट 500 रूपये का | 5PE965605 |
| 4 | एकनोट 500 रूपये का | 8FN528961 |
| 5 | एकनोट 500 रूपये का | 3GW046886 |
| 6 | एकनोट 500 रूपये का | 9SM605777 |
| 7 | एकनोट 500 रूपये का | 7VV725159 |
| 8 | एकनोट 500 रूपये का | 3AQ018949 |
| 9 | एकनोट 500 रूपये का | 9TF228485 |
| 10 | एकनोट 500 रूपये का | 1PA085563 |
| 11 | एकनोट 500 रूपये का | 2DK462185 |
| 12 | एकनोट 500 रूपये का | 3CK975197 |
| 13 | एकनोट 500 रूपये का | 4QU234350 |
| 14 | एकनोट 500 रूपये का | 5KC838653 |

| | | |
|---|---|---|
| 15 | एकनोट 500 रूपये का | 7GC621647 |
| 16 | एकनोट 500 रूपये का | 0BL486410 |
| 17 | एकनोट 500 रूपये का | 2VF706716 |
| 18 | एकनोट 500 रूपये का | 2AE134238 |
| 19 | एकनोट 500 रूपये का | 7MB642894 |
| 20 | एकनोट 500 रूपये का | 6RU558961 |
| 21 | एकनोट 500 रूपये का | 2CS354034 |
| 22 | एकनोट 500 रूपये का | 5DA075534 |
| 23 | एकनोट 500 रूपये का | 9FF758331 |
| 24 | एकनोट 500 रूपये का | 0QE110830 |
| 25 | एकनोट 500 रूपये का | 1CQ860085 |
| 26 | एकनोट 500 रूपये का | 3GE536366 |
| 27 | एकनोट 500 रूपये का | 0SQ550880 |
| 28 | एकनोट 500 रूपये का | 7SL345608 |
| 29 | एकनोट 500 रूपये का | 1QS892698 |
| 30 | एकनोट 500 रूपये का | 3SE020221 |
| 31 | एकनोट 500 रूपये का | 4EN023088 |
| 32 | एकनोट 500 रूपये का | 7BC807193 |
| 33 | एकनोट 500 रूपये का | 0BW431008 |
| 34 | एकनोट 500 रूपये का | 4BP848847 |
| 35 | एकनोट 500 रूपये का | 1NE410912 |
| 36 | एकनोट 500 रूपये का | 2CN538478 |
| 37 | एकनोट 500 रूपये का | 4FW900379 |
| 38 | एकनोट 500 रूपये का | 6ES844936 |
| 39 | एकनोट 500 रूपये का | 8SR882966 |
| 40 | एकनोट 500 रूपये का | 4RR119819 |

उपरोक्त पेश शुदा नोटों के नम्बरों को बोल–बोल कर फर्द में अंकित करवाये जाकर उक्त नोटों का मिलान दोनों स्वतंत्र गवाहान से करवाया गया तो स्वतन्त्र गवाहान ने नोटों के नम्बरों का मिलान सहीं होना बताया। तत्पश्चात श्री मनोज कुमार कानि. नं. 179 से ट्रेप बॉक्स में से सुरक्षित रखी हुई फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी निकलवाई जाकर एक अखबार के ऊपर फिनोफ्थलीन पाउडर निकलवाकर उक्त 20,000/–(बीस हजार) के नोटों पर श्री मनोज कुमार कानि. से फिनोफ्थलीन पाऊडर भली–भांति लगवाया गया। परिवादी श्री देवेन्द्र सिंह की जामा तलाशी स्वतन्त्र गवाह श्री योगेन्द्र सिंह हाल सूचना सहायक से लिवाई गई तो उसके पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। इसके पश्चात् फिनोफ्थलीन पाउडर लगे 20,000/–रूपये के नोटों को श्री मनोज कुमार कानि. से सीधे ही परिवादी द्वारा पहने हुए पेन्ट के दाहिनी तरफ की साईड की जेब में रखवाये जाकर परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटों को अनावश्यक रूप से नहीं छुये तथा आरोपी द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर यही पाउडर लगे नोट उसे निकालकर देवे तथा आरोपी रिश्वत राशि प्राप्त कर कहां रखता है इसका पूरा ध्यान रखे तथा बाहर आकर अपने सिर पर हाथ फेरकर/मोबाईल से फोन कर रिश्वत स्वीकृति का मुकर्रर ईशारा करे। इसके बाद गवाह श्री योगेन्द्र सिंह सूचना सहायक से एक डिस्पोजल गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाकर उक्त घोल को सभी हाजरीयान को दिखाया गया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त घोल में नोटों पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगाने वाले श्री मनोज कुमार कानि. के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार फिनोफ्थलीन पाऊडर व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की आपसी रासायनिक प्रतिकिया का महत्व दोनों गवाहान व परिवादी देवेन्द्र सिंह को समझाया गया तथा गिलास के धोवन को कमरे के बाथरूम में डलवाकर बहाया गया व काम में लिये गये अखबार को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी को बंद ढक्कन कराकर श्री मनोज कुमार कानि. के पास सुरक्षित रखवाया गया। श्री मनोज कुमार कानि. के दोनों हाथों को साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाया गया। गिलास को कमरे में ही नष्ट करवाया गया। इसके बाद दोनों स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाये गये तथा मन पुलिस उप अधीक्षक ने भी अपने दोनों हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ किये। इसके बाद परिवादी को छोड कर दोनों गवाहान एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों की आपस में एक दूसरे से जामा तलाशी लिवायी गई जिसमें मोबाईल फोन, परिचय पत्र के अलावा किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। ट्रेप कार्यवाही में उपयोग में आने वाले उपकरणों को साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाया जाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। परिवादी को सरकारी डिजीटल वॉइस रिकार्डर को वक्त रिश्वत लेन देन की वार्ता को रिकार्ड करने के लिये वॉइस रिकॉर्डर को चलानें एवं बन्द करने की विधि समझाकर सुपुर्द कर मुनासिब हिदायत की गई। इस समस्त कार्यवाही की पृथक से फर्द मुर्तिव की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल फाईल की गई। परिवादी श्री देवेन्द्र सिह एवं श्री राजकुमार कनिष्ठ सहायक को मोटर साईकिल से, श्री ब्रह्मदेव सिंह कानि. 449, श्री योगेश सिंह कानि. 88 को मोटर साईकिल से को आगे रवाना किया परिवादी को हिदायत की गई की कि आरोपी को रिश्वत राशि प्राप्त कर लेने पर सिर पर हाथ फेरकर अथवा मोबाईल पर मिसकॉल देकर ईशारा करे। मन उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाह श्री योगेन्द्र सिह, सूचना सहायक व श्री कपिल कुमार वरिष्ठ सहायक मय लेपटॉप–प्रिन्टर, स्पीकर, ट्रेप बॉक्स आदि उपकरणो के वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु पुलिस थाना लखनपुर जिला भरतपुर के लिए प्राईवेट वाहन से रवाना हुआ। नोटो पर पाउडर लगाने वाले श्री मनोज कुमार कानि. को बाद मुनासिब हिदायत सर्किट हाउस भरतपुर में छोडा गया। मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान जाप्ता व स्वतंत्र गवाहान मय प्राईवेट वाहन, मोटर साईकिल के परिवादी के पीछे–पीछे पुलिस थाना लखनपुर के पास पहुंचा व ट्रेप टीम व स्वतंत्र गवाहान को रिश्वत लेन–देन के स्थान पुलिस थाना लखनपुर के आस–पास अपनी पहचान

छुपाते हुये मुकीम हुये। परिवादी ने बताया कि श्री राम अवतार थानाधिकारी, पुलिस थाना लखनपुर कही बाहर गये हुये है जिनके आने की सूचना मिलते ही मैं आपको अवतगत करा दूँगा। दिनांक 16.09.2023 समय 02.00 पी.एम उप अधीक्षक पुलिस सुरेन्द्र सिंह को परिवादी श्री देवेन्द्र सिंह के नियत इशारे की सूचना प्राप्त होने पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान स्वतन्त्र गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यों के पुलिस थाना, लखनपुर पर परिवादी के पास पहुंचा जिससे पूर्व में सुपुर्दशुदा वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित अपने पास रखा। परिवादी श्री देवेन्द्र सिंह ने उसके पास में खडे एक व्यक्ति की तरफ इशारा कर बताया कि यही रामअवतार उप निरीक्षक थानाधिकरी, थाना लखनपुर हैं। जिन्होनें अभी मुझसे रिश्वत के 20,000/–रूपये लेकर अपने दोनो हाथों से गिनकर पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी तरफ की साईड की जेब में रख लिये हैं। इस पर पास खडे व्यक्ति को अपना व हमराहियान का परिचय देते हुए उक्त व्यक्ति का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम रामअवतार पुत्र श्री भजन लाल, जाति बैरवा उम्र 39 साल निवासी गोठड़ा पुलिस थाना नादौती जिला गंगापुर हाल उप निरीक्षक, थानाधिकारी, पुलिस थाना लखनपुर जिला भरतपुर होना बताया व अपने हाथों को रगडने की कोशिश करने लगा इस पर मेरे निर्देशानुसार रामअवतार उपनिरीक्षक पुलिस का दाया हाथ स्वतंत्र गवाह श्री योगेन्द्र सिंह सूचना सहायक व बाया हाथ स्वतन्त्र गवाह श्री कपिल सिंह, वरिष्ठ सहायक ने कलाईयों के उपर से पकड लिये। इस पर परिवादी श्री देवेन्द्र सिंह से आरोपी रामअवतार उपनिरीक्षक पुलिस द्वारा रिश्वत लेने के सम्बन्ध में पूछा तो परिवादी ने बताया कि मैने 4–5 दिन पहले थाना लखनपुर जिला भरतपुर पर मेरे साथ हुई धोखधड़ी के संम्बंध में एक रिपोर्ट एस.एच.ओ. श्री रामअवतार बैरवा को दी थी। उस रिपोर्ट पर मदद करने एवं मुझसे 25,000 रूपये रिश्वत मांग रहा था, मेरे रूपयें मुझे वापस मिल जाने पर श्री रामअवतार एस.एच.ओ थाना लखनपुर मुझे 25,000 रूपये के लिए बुलाया था। जिसकी शिकायत दिनांक 15.09.2023 को मैने आपको दी थी जिस पर आपने रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया जिसमें रामअवतार उपनिरीक्षक पुलिस एस.एच. ओ. थाना लखनपुर द्वारा मेरी रिपोर्ट पर मदद करने एवं रूपये वापस दिलाने की एवज में 25,000/–रूपये रिश्वत राशि की मांग की थी मेरे निवेदन करने पर 20,000 रूपये लेने पर सहमत हुऐ थे। इसी मांग के अनुसरण में आज दिनांक 16.09.2023 को श्री रामअवतार एस.एच.ओ. लखनपुर ने मुझे पुलिस थाना लखनपुर पर 20,000/–रूपये रिश्वती राशि मुझसे प्राप्त कर अपने दोनो हाथों से गिनकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी तरफ की जेब में रख लिये थे। मैने मौका पाकर आपको नियत इशारा कर दिया था। उक्त रिश्वत राशि के संबंध में श्री राम अवतार उप निरीक्षक, थानाधिकारी, पुलिस थाना लखनपुर जिला भरतपुर से पूछा गया तो उसने बताया कि आज से 4–5 दिन पहले श्री देवेन्द्र सिह निवासी मई पुलिस थाना लखनपुर ने उपस्थित पुलिस थाना होकर एक प्रार्थना–पत्र शहद बेचने के रूयये श्री देवेन्द्र उर्फ तोलू द्वारा नही लौटाने के संबंध में पेश किया था, उक्त प्रार्थना–पत्र को मैने मेरे पास रख लिया था कल दिनांक 15.09.2023 को दोनों पक्षो को बुलाकर परिवादी श्री देवेन्द्र सिह के रूपये वापस दिला दिये थे। उक्त प्रार्थना–पत्र पर मदद करने एवं रूपये वापस दिलाने की एवज में मैने रिश्वत के रूपयो की मांग की थी जिस पर मेरे द्वारा आज 20,000/–रूपये श्री देवेन्द्र सिंह से प्राप्त कर मैने मेरी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब में रख लिये थे, कुछ समय पश्चात् आपकी टीम आ गई। इस पर अग्रिम कार्यवाही हेतु ट्रेप बॉक्स में से एक डिस्पॉजल गिलास को निकलवाकर थाने में रखे हुए कैम्पर में से बोतल में साफ पानी मंगवाकर डिस्पॉजल गिलास में साफ पानी डलवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर गवाह योगेन्द्र सिंह सूचना सहायक से हिलवाया गया तो पानी रंगहीन रहा जिसे सभी हाजरीन को दिखाया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया। इस पर डिस्पॉजल गिलास के घोल में श्री श्री रामअवतार एस.एच.ओ. लखनपुर के दाहिने हाथं को डुबोकर धुलवाया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे सभी को दिखाकर दो कांच की साफ शीशियों में भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट पर संबंधितों के

हस्ताक्षर करवाकर शीशी पर मार्क RH-1 व RH-2 अंकित कर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया। पुनः दूसरा डिस्पॉजल गिलास लिया जाकर उसमें साफ पानी भरवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर हिलाया तो पानी रंगहीन रहा। इस घोल में श्री राम अवतार एस.एच.ओ लखनपुर के बांये हाथ को डुबोकर धुलवाया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे भी सभी हाजरीन को दिखाकर दो काचं की साफ शीशियों में भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क LH-1 व LH-2 अंकित कर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया। श्री रामअवतार एस.एच.ओ. लखनपुर के पहने हुए पेन्ट की दाहिनी तरफ की साईड की जेब से रिश्वत राशि गवाह श्री योगेन्द्र सिंह सूचना सहायक से निकलवाई जाकर गिनवाई तो भारतीय मुद्रा के पांच–पांच सौ रूपये के 40 नोट कुल 20,000/– रूपये हैं। नोटों का विवरण निम्न प्रकार है :–

| क्रम संख्या | नोटो का विवरण | नोटो के नम्बर |
|---|---|---|
| 1 | एकनोट 500 रूपये का | 9HF139535 |
| 2 | एकनोट 500 रूपये का | 3BP968095 |
| 3 | एकनोट 500 रूपये का | 5PE965605 |
| 4 | एकनोट 500 रूपये का | 8FN528961 |
| 5 | एकनोट 500 रूपये का | 3GW046886 |
| 6 | एकनोट 500 रूपये का | 9SM605777 |
| 7 | एकनोट 500 रूपये का | 7VV725159 |
| 8 | एकनोट 500 रूपये का | 3AQ018949 |
| 9 | एकनोट 500 रूपये का | 9TF228485 |
| 10 | एकनोट 500 रूपये का | 1PA085563 |
| 11 | एकनोट 500 रूपये का | 2DK462185 |
| 12 | एकनोट 500 रूपये का | 3CK975197 |
| 13 | एकनोट 500 रूपये का | 4QU234350 |
| 14 | एकनोट 500 रूपये का | 5KC838653 |
| 15 | एकनोट 500 रूपये का | 7GC621647 |
| 16 | एकनोट 500 रूपये का | 0BL486410 |
| 17 | एकनोट 500 रूपये का | 2VF706716 |
| 18 | एकनोट 500 रूपये का | 2AE134238 |
| 19 | एकनोट 500 रूपये का | 7MB642894 |

| | | |
|---|---|---|
| 20 | एकनोट 500 रूपये का | 6RU558961 |
| 21 | एकनोट 500 रूपये का | 2CS354034 |
| 22 | एकनोट 500 रूपये का | 5DA075534 |
| 23 | एकनोट 500 रूपये का | 9FF758331 |
| 24 | एकनोट 500 रूपये का | 0QE110830 |
| 25 | एकनोट 500 रूपये का | 1CQ860085 |
| 26 | एकनोट 500 रूपये का | 3GE536366 |
| 27 | एकनोट 500 रूपये का | 0SQ550880 |
| 28 | एकनोट 500 रूपये का | 7SL345608 |
| 29 | एकनोट 500 रूपये का | 1QS892698 |
| 30 | एकनोट 500 रूपये का | 3SE020221 |
| 31 | एकनोट 500 रूपये का | 4EN023088 |
| 32 | एकनोट 500 रूपये का | 7BC807193 |
| 33 | एकनोट 500 रूपये का | 0BW431008 |
| 34 | एकनोट 500 रूपये का | 4BP848847 |
| 35 | एकनोट 500 रूपये का | 1NE410912 |
| 36 | एकनोट 500 रूपये का | 2CN538478 |
| 37 | एकनोट 500 रूपये का | 4FW900379 |
| 38 | एकनोट 500 रूपये का | 6ES844936 |
| 39 | एकनोट 500 रूपये का | 8SR882966 |
| 40 | एकनोट 500 रूपये का | 4RR119819 |

उक्त नोटों के नम्बरों का मिलान पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी से स्वतन्त्र गवाहान से करवाने पर नम्बर हूबहू पाये गये। सभी नोटो को एक सफेद कागज की चिट के साथ सिलवाकर सील मौहर करवाकर चिट के ऊपर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपी रामअवतार एस.एच.ओ. लखनपुर द्वारा पहनी हुई वर्दी की पेन्ट जिसकी दाहिनी तरफ की साईड की जेब से रिश्वत राशि बरामद हुई थी को उतरवाकर आरोपी रामअवतार एस.एच.ओ. लखनपुर को लोवर मंगवाकर पहनवाया गया एवं यूनीफार्म की शर्ट व बैल्ट को सही तरीके से बदलवाया जाकर जाप्ता को सुपुर्द किया व सादा टीशर्ट पहनवाई गई। तत्पश्चात ट्रेप बॉक्स से डिस्पॉजल गिलास निकलवाकर उसमें

साफ पानी डलवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाकर उक्त पेन्ट की पीछे की दाहिनी तरफ की साईड की जेब में सफेद रंग का एक रूमाल निकला जिसको धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया जिसे सभी को दिखाकर दो कांच की शीशियों में भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशी पर मार्क R-1 व R-2 अंकित कर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। सफेद रूमाल को सुखवाकर रूमाल पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर सफेद रूमाल को एक सफेद कपडे की थैली में रखवाकर थैली को सिलवाकर सील मौहर करवाकर थैली पर भी सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर थैली पर मार्क "R" अंकित कर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात् ट्रेप बॉक्स से अन्य डिस्पॉजल गिलास निकलवाकर उसमें साफ पानी डलवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाकर उक्त पेन्ट की पीछे की दाहिनी तरफ की साईड की जेब को धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया जिसे सभी को दिखाकर दो कांच की शीशियों में भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशी पर मार्क P-1 व P-2 अंकित कर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। पेन्ट को सुखवाकर दाहिनी तरफ की साईड की जेब पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर पेन्ट को एक सफेद कपडे की थैली में रखवाकर थैली को सिलवाकर सील मौहर करवाकर थैली पर भी सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर थैली पर मार्क "P" अंकित कर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। परिवादी से प्राप्तशुदा डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को चालू कर सुना गया तो वक्त रिश्वत लेन–देन वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गयी रिश्वत मांग सत्यापन व रिश्वत लेन–देन वार्ता का पृथक से रूपान्तरण लैपटॉप कम्प्यूटर की सहायता से सुना जाकर तैयार किया जावेगा। आरोपी राम अवतार उप निरीक्षक, थानाधिकारी पुलिस थाना लखनपुर जिला भरतपुर का उक्त कृत्य धारा 7, पीसी (संशोधित) अधिनियम वर्ष 2018 के अनुसार अपराध की श्रेणी में आता है। फर्द बरामदगी एवं हाथ धुलाई पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। स्वतंत्र_गवाहान श्री योगेन्द्र सिंह व श्री कपिल कुमार व परिवादी श्री देवेन्द्र सिह व आरोपी श्री राम अवतार, उप निरीक्षक की उपस्थिति में हाथ धुलाई व रूमाल व पेन्ट धुलाई में काम लिये गये डिस्पोजल गिलास को पूर्ण से नष्ट किया गया फर्द डिस्पोजल गिलास नष्टीकरण पृथक से तैयार कर संबंधितो के हस्ताक्षर कराये जाकर शामिल पत्रावली की गई दोनो स्वतन्त्र गवाहान एवं परिवादी के समक्ष मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी के साथ हुये धोखाधड़ी के संबंध प्रार्थना–पत्र मांगने पर आरोपी राम अवतार उप निरीक्षक, थानाधिकारी, पुलिस थाना लखनपुर जिला भरपतरु ने अपनी कार्यालय की टेबिल की दराज में से एक प्रार्थना–पत्र परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र को बतौर वजह सबूत जरिये फर्द जप्त किये जाकर कब्जा ए. सी.बी. लिया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। जप्त प्रार्थना–पत्र पर स्वतंत्र गवाहान, परिवादी व आरोपी के हस्ताक्षर कराये गये। गवाहान एवं परिवादी श्री देवेन्द्र सिह के सामने अभियुक्त रामअवतार पुत्र श्री भजन लाल, जाति बैरवा उम्र 39 साल निवासी गोठड़ा पुलिस थाना नादौती जिला गंगापुर हाल उप निरीक्षक, थानाधिकारी, पुलिस थाना लखनपुर जिला भरतपुर को मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा अपने पदनाम एव उसके कानूनी अधिकारो से अवगत कराते हुए तथा जुर्म से आगाह कर धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध प्रमाणित पाया जाने पर हस्ब कायदा गिरफ्तार किया गया। **दिनांक 16.09.2023 / 04.30 पी.एम** स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी श्री देवेन्द्र सिह व आरोपी श्री राम अवतार उप निरीक्षक के समक्ष डिजीटल वाईस रिकार्डर को सरकारी लैपटॉप कम्प्यूटर में कनेक्ट करवा कर डिजीटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता (30 मिनट 55 सैकेण्ड) व परिवादी श्री देवेन्द्र सिह के मोबाईल नं. 9950979772 से आरोपी श्री राम अवतार उप निरीक्षक के मोबाईल नं. 7678586353 पर समय 10.57 ए.एम पर किये गये कॉल को विभागीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में की गई रिकॉडिंग की वार्ता (13 सेकण्ड) व रिश्वत

लेन–देन वार्ता (30 मिनट 54 सेकण्ड) को सरकारी लैपटॉप कम्प्यूटर से कनेक्ट करवाकर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता व परिवादी श्री देवेन्द्र सिह के मोबाईल नं. 9950979772 से आरोपी श्री राम अवतार उप निरीक्षक के मोबाईल नं. 7678586353 पर समय 10.57 ए.एम पर किये गये कॉल को विभागीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में की गई रिकॉडिंग की वार्ता व रिश्वत लेन–देन वार्ता को लैपटॉप कम्प्यूटर की मदद से सुना जाकर परिवादी से आवाज की पहचान करवाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवा कर स्थानीय भाषा का शुद्व हिन्दी रूपान्तरण तैयार किया गया। वाईस रिकॉर्डर में रिकार्ड वार्ता को मैमोरी कार्ड माइक्रो एस डी कम्पनी 08 जी.बी में एवं दो डीवीडी में डबिंग किया जाकर उन पर मार्क "ए" अंकित किया गया न्यायालय प्रति मेमोरी कार्ड व मुज्लिम प्रति डीवीडी पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कपड़े की थैली में रखवाया जाकर थैलियों को शील मौहर कर थैलियों पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये एवं एक डी.वी.डी. को आई.ओ. प्रति हेतु खुला रखा गया, शील्ड़ शुदा आर्टीकल्स को सुरक्षित ट्रेप बॉक्स में रखा गया जो वापसी पर जमा मालखाना कराया जायेगा। फर्द ट्रांसिक्रप्ट नियमानुसार तैयार की जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर कराये जाकर शामिल पत्रावली की गई। परिवादी श्री देवेन्द्र सिह, व स्वतंत्र गवाहान, व अभियुक्त राम अवतार, उप निरीक्षक की उपस्थिति में घटनास्थल का नक्शा मौका तैयार किया जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर कराये जाकर फर्द नक्शा मौका शामिल पत्रावली की गई। उक्त ट्रेप कार्यवाही विरूद्व श्री राम अवतार उप निरीक्षक थानाधिकारी पुलिस थाना लखनपुर जिला भरतपुर में आरोपी राम अवतार उप निरीक्षक की आवाज की पहचान हेतु दौराने ट्रेप कार्यवाही तैयार की गई DVD आई.ओ. प्रति मार्क A जिसमें रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, व मोबाईल कॉलिंग वार्ता व रिश्वत लेन–दने वार्ता रिकार्ड है को लैपटॉप कम्प्यूटर में लगाकर वार्ता को आरोपी के सहकर्मी श्री सुरेश सिंह हैड़ कानि. 901 हाल एच.एम पुलिस थाना लखनपुर जिला भरतपुर की उपस्थिति में सुना गया व रिकार्ड वार्ताओं में आवाजो की पहचान करवाई गई तो श्री सुरेश सिंह हैड़ कानि. 901 द्वारा रिकार्ड वार्ता में से एक आवाज राम अवतार उप निरीक्षक थानाधिकारी पुलिस थाना लखनपुर जिला भरतपुर की होना एवं आरोपी के अलावा अन्य व्यक्तियों की आवाज रिकार्ड है जिसको पहचाने से इंकार किया। फर्द आवाज पहचान पृथक से तैयार कर संबंधितो के हस्ताक्षर कराये जाकर शामिल पत्रावली की गई गवाहान एवं परिवादी की उपस्थिति में ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत सील्ड करने हेतु काम में ली गई पीतल की नमूना सील जिस पर एएसपी एसीबी धौलपुर (29) लिखा हुआ है को नष्ट किया गया। जिसकी फर्द पृथक से मुर्तिब कर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। अब तक सम्पन्न की गई समस्त ट्रेप कार्यवाही, परिवादी की लिखित रिपोर्ट, प्राप्त प्रार्थना–पत्र, रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता एवं मोबाईल कॉलिंग वार्ता व रिश्वत लेन–देन वार्ता की फर्द ट्रासक्रिप्ट से आरोपी राम अवतार, उप निरीक्षक, थानाधिकारी, पुलिस थाना लखनपुर जिला भरतपुर के द्वारा परिवादी श्री देवेन्द्र सिह द्वारा पेश किये गये प्रार्थना–पत्र पर मदद करने एवं रूपये वापिस दिलाने की एवज में रिश्वत के रूप में 25,000/– रूपये मांग की करना जिस पर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन दिनांक 15.09.2023 को करवाया गया जिसमें राम अवतार, थानाधिकारी, पुलिस थाना लखनपुर जिला भरतपुर ने परिवादी के साथ हुई धोखाधड़ी के संबंध में मदद करने एवम रूपये वापस दिलाने की एवज में रिश्वत के रूप में 25,000/– रूपये मांगने पर परिवादी के द्वारा निवेदन करने पर 20,000 रूपये रिश्वत राशि लेने हेतु सहमत होने पर आज दिनांक 16. 09.2023 को रिश्वत मांग के अनुसरण में 20,000/–रूपये प्राप्त करना एवं रिश्वत राशि आरोपी श्री राम अवतार उप निरीक्षक के कब्जे से बरामद होना धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत दण्डनीय अपराध होने पर आरोपी रामअवतार पुत्र श्री भजन लाल, जाति बैरवा उम्र 39 साल निवासी गोठड़ा पुलिस थाना नादौती जिला गंगापुर हाल उप निरीक्षक, थानाधिकारी, पुलिस थाना लखनपुर जिला भरतपुर के विरूद्व बिना

नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कायमी जुर्म प्रधान आरक्षी केन्द्र भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर प्रेषित है।

**(सुरेन्द्र सिह)**
**उप अधीक्षक पुलिस**
**भ्र0नि0 ब्यूरो, धौलपुर**

<u>कार्यवाही पुलिस</u>

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुरेन्द्र सिंह, पुलिस उप अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, धौलपुर ने प्रेषित की है। रिपोर्ट के तथ्यों से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री रामअवतार पुत्र श्री भजन लाल, हाल उप निरीक्षक, थानाधिकारी पुलिस थाना लखनपुर, जिला भरतपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 250/2023 उपरोक्त धारा में पंजीबद्ध कर प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान जारी है।

17.9.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांक 2793-96 दिनांक 17.09.2023

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. महानिरीक्षक पुलिस, भरतपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, धौलपुर।

17.9.23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।